

16.1.19 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलेंट अधिकता उपस्थित। रैस्पोंडेंट की ओर से जवाब नहीं आया-धूरी उनका जवाब बंद किया जा चुका है। रैस्पोंडेंट को बहस करने हेतु भी अवसर देने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रक्री अपीलेंट की ओर से लिखित बहस न्यायालय में दी जा-धूरी है। अतः पत्रावली आईन्वा वालते निर्णय दिनांक 21.1.2019 को पेश हो।

21.1.19 पत्रावली आज पेश हुई। वाकूलम करिकेन एडवोकेट/निर्णय नहीं किया जा सका है पत्रावली वाले निर्णय डी. 31.1.19 को पेश हो।

31.1.19 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलेंट अधिकता सक्ति अपीलेंट की अपील अ-तर्गत धारा-75 की अन्वयान अतिविषय 1956 वताराजगी अधिदेश अंतर्गत पत्रावली अमला अयुधेशने नं. 2532 दिनांक 20.11.17 को निरस्त ~~कर~~ ~~की~~ अपील कर अपीलेंट की अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली उप निर्देश के साथ अपीलेंट अमला दिमाड की जारी है कि वह उक्त विवादित आदाती में आ. अमला के अंक नं. 1 खसरा नंबर 1626 रकबा 1.19 है। मुक्ति का विपमानुषार पुनः नामांतरण करने की कार्यवाही की जावे। लिखित निर्णय कलक की लिखा जाकर सभिल पत्रावली लिखा जाया निर्णय आज खुले न्यायालय पुतापा जाया। पत्रावली अमला पुम्मार मेकन अखर ले अमल मेकन अमिल अखर हो।

दस्तावेज  
नं. 11/19

31/1/19  
उपखण्ड अधिकारी